मीडिया के माध्यम से सभ्यता और संस्कृति को प्रदूषित किया जाना

2293. **श्रीमती सरोज दुबे** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बहुत सी पत्र पत्रिकाओं, समाचार-पत्रों तथा दूरदर्शन के माध्यम से देश की मूल सभ्यता तथा संस्कृति को प्रदूषित करने का प्रयास किया जा रहा है,

(ख) यदि हां , तो क्या सरकार ऐसे प्रकाशनों और प्रसारणों पर अविलम्ब प्रतिबंध लगाने जा रही है, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) यह देखने में आया है कि कुछ स्थानों पर सैक्स, हिंसा आदि का चित्रण आदि अवधि अत्यधिक, अनावश्यक और अप्रासंगिक होते हैं ।

(ख) और (ग) प्रेस से संबधित मामलों में, सरकार गैर-हस्तक्षेप की नीति का पालन करती है कि ताकि प्रेस की स्वतंत्रता को बनाए रखा जा सके । तथापि, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने तथा समाचारपत्रों एंव समाचार एजेंसियों के स्तर को सुधारने के लिए स्थापित एक स्वायत्त सांविधिक निकाय भारतीय प्रसे परिषद ने पत्रकारिता की आचार-नीति के मानक निर्धारित किए है , जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रिंट मीडिया में अश्लीलता एंव अभद्रता को रोकने संबंधी मानक शामिल है ।

दूरदर्शन पर प्रसारित कार्यक्रमों के बारे में कार्यक्रम संहिता का पालन करना होत है और उपयुक्त मानदंडों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु इनका पूर्वदर्शन भी किया जाता है । विदेशी उपग्रह चैनलों के कार्यक्रम देश के बाहर से अपंलिक किए जातें हैं, अवएंव, इस समय तक भारतीय कानूनों की सीमा के भीतर नहीं आतें हैं जब तक कि उनकी प्राप्ति के लिए डिकोडरों का प्रयोग ने किया जाए । तथापि सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि केवल आपरेटरों जो स्वतंत्र चैनलों का पुन: प्रसारण करते हैं. द्वारा भी केवल कानून की कार्यक्रम एंव विज्ञापन संहिता का अनुपालन किया जाए, केवल कानून में कुछ संशोधन करने हेतु कदम उठाए हैं ।

कंपनियों का सांविधिक लेखापरीक्षण

2294. **श्री रामजीलाल :** क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की जानकारी में हैं कि निवेशकों का पैसा लेकर बहुत-सी- कंपनियां गायब हो गई है,

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसी कंपनियों की पता-ठिकाना सुनिश्चित करने के लिए क्या व्यवस्था की गई है,

(ग) क्या सरकार का ध्यान भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के अध्यक्ष द्वारा दिए गए सुझाव कि "कंपनियों के कामकाज का सांविधिक रूप से आडिट किया जाना चाहिए" की ओर आकर्षित किया गया है, और

(घ) यदि हां, तो इस संबधं में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

विधि,न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री एम.थम्बी दुरई): (क)और (ख) कंपनी कार्य विभाग ने सेबी से 79कंपनियों की एक सूची प्राप्त की थी जिसमें 1992-93,1993-94, 1994-95 और 1997-98 की अविधि के दौरान सार्वजनिक प्रस्ताव किए गए थे और जो उपयुक्त कार्रवाई हेतु अपने सम्बधिंत प्रोदेशिक स्टॉक एक्सचेंजों की सूचीबद्ध अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं कर रहें थे । हालांकि यह सुनिश्चित करना सम्बधिंत स्टाक एक्सचेजों, जहां इन कंपनियों के शेयर या डिबेन्चर सूचीबद्ध किए जाते हैं, की जिम्मेदारी है कि कम्पनियां सूचीबद्ध करारों के अंतर्गत अपेक्षाओं का अनुपालन करें और ऐसी सूचीबद्ध करारों कंपनियों के काम-काज पर निगरानी बनाएं रखने की मुख्य जिम्मेदारी सेबी/स्टॉक एक्सचेंजों की है, फिर भी विभाग द्वारा इसके क्षेत्रीय संगठनों को अनुदेश जारी कर दिए गए थे ताकि कंपनी अधिनियम, 1956 के उपलबंधों के उल्लघंन, यदि कोई हों, और ऐसी कंपनियों के पता-ठिकानों का पता लगाने के लिए पुलिस प्राधिकारियों और आम जनता की सहायता लेने के लिए समय पर कार्रवाई की जा सके । उपर्युक्त 79 कंपनियों में से 75 कम्पनियों के संबधं में क्षेत्रीय संगठनों से प्राप्त रिपोर्ट से पता चला कि 12 कंपनियां अपने अंतिम ज्ञात पंजीकृत कार्यालयों में उपलब्ध नहीं है ।

(ग) और (घ) कंपनी अधिनियम, 1956 में पहले से ही यह प्रावधान है कि कंपनी के लेखों की लेखा परीक्षा एक लेखा परीक्षक द्वारा की जायेगी और वह उन मामलों मे रिपोर्ट देगा जिसकी उसने तुलनपत्र और लाभ और हानि लेखा समेत जांच की है जिसे निदेशक बोर्ड

द्वारा वार्षिक साधारण बैठक में शेयर धारकों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। हालांकि, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान ने सुझाव दिया है कि यह सुनिश्चित करने के लिए लिए कि उपबंधित कानूनों का कंपनियों द्वारा उसके मूल स्वरूप में विधिवत अनुपालन किया जाए फिर भी सरकार को उन कंपनियों के सम्बंध में एक सचिवालयीय लेखा परीक्षा और सचिवालयीय अनुपालन रिपोर्ट उपलब्ध कराना चाहिए जो कि स्वतंत्र व्यवसायीय द्वारा तैयार की जाएगी। सरकार ने इस सुझाव पर विचार किया है और राज्य सभा में 14.8.1997 को पुरःस्थापित कंपनी विधेयक, 1997 में पहले से ही यह प्रस्तावित है कि जिस कंपनी में एक पूर्णकालिक सचिव को नियोजित करना अपेक्षित नही है और जिसको प्रदत्त शेयर पूंजी दस लाख रूपये या इससे अधिक है वह बोर्ड की रिपोर्ट के साथ यथानिर्धारित ऐसे शर्तों के अधीन और ऐसे फार्म में व्यवसयारत पूर्णकालिक सचिव से एक प्रमाण पत्र संलग्न करेगी।

Pending cases in Supreme Court and High Courts

2295. SHRI A. VIJAYA RAGHAVAN: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) the ratio of High Court judges and the pending cases in High Courts since 1994 to 1998;

(b) the ratio of Supreme Court judges and the pending cases as on 31st December, 1998;

(c) whether Government are aware that many eminent judges and personalities have opined that justice delayed means justice denied; and

(d) if so, what concrete steps Government propose to take for quick disposal of pending cases and framing law to bar ordinary cases to drag on for unlimited periods?

THE MINISTER OF LAW; JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI M. THAMBI DURAI): Ratio of Judges and

the pending cases in High Courts is as Follows:

Year	Ratio
(As on 1st January)	
1994	1:5177
1995	1:5426
1996	1:5469
1997	1:5436
1998	1:5445

(b) Ratio of Judges and the pending cases in the Supreme Court as on 31st October, 1998 was 1:762

(c) Yes, Sir.

(d) Government has taken a series of steps for speedy disposal of pending cases. These include amendment of Civil Procedure Code and Criminal Procedure Code. The Code of Civil Procedure (Amendment) Bill, 1997 inter-alia con tains a number of provisions which will facilitate speedy disposal of all cases.

Further, steps are being taken to increase the number of posts of Judges in the High Courts, appointment of Special Judicial/Metropolitan Magistrates for disposal of petty criminal cases, computerization in courts etc.

The Government has also adopted alternative modes of dispute resolution such as-arbitration and conciliation. Lok Adalats have been given a statutory base with the enforcement of the Legal Services Authorities Act, 1987, as amended, w.e.f. 9.11.1995. Lok Adalats have proved to be an effective and successful supplementary forum for resolution of disputes.